380
01.02.21

कोर्टकेस/ शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या- 3/2021/ सा0-468/सात-न्याय-अनु0प्रको0/2020

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

अनुश्रवण प्रकोष्ठ, न्याय विभाग — लखनऊ : दिनांक १९ जनवरी, 2021

विषय: सिविल मिशलेनियस अवमानना वाद संख्या- 2948 आफ 2020 श्रीमती गोमती कोरंगा पत्नी श्री अमानत हुसैन, पता- मोहल्ला कुरैशी, जिला- अमरोहा बनाम डा0 विजय कुमार यादव, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिजनौर में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03-12-2020 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि सिविल मिशलेनियस अवमानना वाद संख्या-2948 आफ 2020 श्रीमती गोमती कोरंगा पत्नी श्री अमानत हुसैन, पता-मोहल्ला कुरैशी, जिला- अमरोहा बनाम डा0 विजय कुमार यादव, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला- बिजनौर, में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03-12-2020 को आदेश पारित किये गये हैं, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत् हैः-

"It is further provided that Sri K.R.Singh, learned Additional Chief Standing Counsel shall send a copy of this Court to the Chief Secretary, State of U.P. "so that he may issue necessary directions to all the Head of the offices that care must be taken by the offices/officials concerned to immediately communicate the authority concerned about the order of this Court so as to avoid initiation of the contempt proceedings for non-compliance of the orders of this Court."

In the facts and circumstances of the case, taking a lenient view in the matter, non-bailable warrant issued against opposite party stands withdrawn and his personal appearance is exempted for future dates unless ordered otherwise by this Court.

This contempt application is kept alive only for the aforesaid purpose. The applicant is at liberty to avail the remedy as may be available to him in

accordance with law, in case he is disputing the merits of the order passed by the opposite party in compliance of the order of the Writ Court.
List in the additional cause list on 08-02-2021."

2- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सिविल मिशलेनियस अवमानना वाद संख्या-2948 आफ 2020 श्रीमती गोमती कोरंगा पत्नी श्री अमानत हुसैन, पता-मोहल्ला कुरैशी, जिला-अमरोहा बनाम डा0 विजय कुमार यादव,मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला-बिजनौर में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03-12-2020 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 उच्च न्यायालय के पारित उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर तत्परता से कार्यवाही की जाए।

संलग्नक- यथोक्तानुसार।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या-2/2021/सा0-468(1) /सात-न्याय-अनु0प्रको0/2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2- श्री के0आर0सिंह, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, अम्बेदकर भवन, (कमरा नं0-2, चतुर्थ तल) इलाहाबाद को उनके फैक्स दिनांक 17-12-2020 के संदर्भ में प्रेषित।
3- न्याय विभाग के समस्त अनुभाग।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

10/01/21

(प्रमोद कुमार श्रीवास्तव-II,)
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।